भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 2976

दिनांक 11.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

समुद्री जल को पेयजल में परिवर्तित करना

2976. श्री के॰ नवासखनीः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या तमिलनाडु में जलसंकट के समाधान के लिए रामेश्वरम में संयंत्रों की स्थापना द्वारा समुद्री जल को पेयजल में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय

(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ख) पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। यह मंत्रालय, ग्रामीण आबादी तक सुरक्षित पेयजल के कवरेज में सुधार लाने के लिए, केंद्रीय प्रायोजित स्कीम राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के जरिए राज्यों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों को पूरा करता है। ग्रामीण आबादी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारें ही स्कीमों की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन, निष्पादन, प्रचालन और रख-रखाव करती हैं। राज्य, जरूरतमंद बसावटों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी कवरेज निधियों का उपयोग कर सकते हैं।

इस मंत्रालय में तमिलनाडु सरकार से रामेश्वरम में विलवणीकरण संयंत्र की स्थापना करके समुद्री जल को पेयजल में बदलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।